सप्तदश

बिहार विधान सभा

सप्तम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, तिथि 23 अग्रहायण, 1944 (श०)
14 दिसम्बर, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	पंचायती राज विभाग - -	03
(2)	लघु जल संसाधन विभाग - -	01
(3)	ग्रामीण कार्य विभाग - -	01
(4)	जल संसाधन विभाग - -	01
	कुल योग --	06

पंचायत भवन का निर्माण

1. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 नवम्बर, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "पंचायत सरकार भवन के लिये स्थल चयन में छह जिले सुस्त" के आलोक में क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु अभीतक भूमि का चयन नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिन पंचायत में विभाग के मानक के अनुसार जमीन उपलब्ध नहीं है, वहाँ जमीन का क्रय कर राज्य के बचे हुये पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 844 स्थानों पर पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । शेष स्थानों पर टीम गठित कर भूमि चयन का कार्य किया जा रहा है । शीघ्र ही 2022-23 के शेष बचे स्थानों सहित 2023-24 के लक्ष्य के विरुद्ध भूमि चयन का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ।

(3) उपरोक्त खंड (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

सिंचाई क्षमता का सृजन

2. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि द्वितीय कृषि रोड मैप (2012-17) के अन्तर्गत सतही सिंचाई योजना के तहत उद्वह सिंचाई योजना से 10.249 लाख हे0 सिंचाई क्षमता सृजन के विरुद्ध मात्र 2 लाख हेक्टेयर, भू-जल सिंचाई योजना से 13.36 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 2.116 लाख हेक्टेयर तथा भू-जल प्रबंधन के माध्यम के चेक डैम से 30.362 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन के विरुद्ध मात्र 6.839 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का ही सृजन हुआ, यदि हाँ, तो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने का औचित्य क्या है ?

कार्रवाई करना

3. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं यथा 1 जिला परिषद्, 63 पंचायत समिति, 513 ग्राम पंचायतों को पंचम, षष्टम एवं पंद्रहवीं वित्त आयोग की राशि का किस्त विभागीय उदासीनता के कारण नहीं जा रहा है, यथा पंचायती राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 424/17 जून, 2022, पत्रांक 250/29 अप्रील, 2020, पत्रांक 425/17 जून, 2022 एवं पत्रांक 426/17 जून, 2022 द्वारा अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को मलकौनिया, करमावा सहित 45 ग्राम पंचायतों एवं घोड़ासहन पंचायत समिति की राशि भेजते हुये पत्र दिया गया परन्तु राशि अभीतक नहीं प्राप्त होने की सूचना सहित सभी कागजात उपलब्ध करा दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्वी चम्पारण सहित राज्य के वंचित जिला परिषदों, ग्राम पंचायत/पंचायत समिति को शेष बकाया राशि भेजने तथा विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी/कर्मी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सोलर लाईटों को चालू कराना

'क'-4. श्री जनक सिंह (क्षेत्र संख्या-116 तरैया)--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिये 2010 से 2020 तक बड़े पैमाने पर राज्य में सोलर लाइट लगाये गये हैं परंतु मेंटेनेंस के अभाव में आज बंद है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बंद पड़े सभी सोलर लाइटों को चालू कराकर सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियम बनाने का विचार

5. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के महाराजगंज कार्य प्रमंडल अन्तर्गत गोरेयाकोठी प्रखंड में जानो से मिर्जापुर तथा लकड़ीनवीगंज प्रखंड में L044 डुमरा से सिकटिया पथ की प्रशासनिक स्वीकृति 2 फरवरी, 2022 को दी गई, निविदा देने की तिथि 22 फरवरी से 9 मार्च तक की थी, परंतु अभीतक उक्त निविदा का निर्धारण नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के परियोजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति से कार्य प्रारंभ कराने तक की समय-सीमा निर्धारित करने संबंधी नियम बनाने का विचार रखती है ?

कार्रवाई करना

6. श्री विजय कुमार सिन्हा (क्षेत्र संख्या-168 लखीसराय)--क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला में अवस्थित बड़हिया, मोकामा टाल का रकबा 1 लाख हेक्टेयर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि साल में 4 महीना यह क्षेत्र जलमग्न रहता है, जिसके कारण किसानों को 900 करोड़ रुपये से अधिक का फसल प्रतिवर्ष नुकसान होता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि टाल क्षेत्र से जल निकासी की व्यवस्था करने हेतु 22 करोड़ की लागत से हरोहर नदी पर स्लूईस गेट का निर्माण कार्य 4 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, जो अपूर्ण है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त कार्य को पूर्ण कराने एवं विलम्ब के लिये दोषी संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

नोट--'क'-ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 1427473, दिनांक 9 दिसम्बर, 2022 द्वारा पंचायती राज विभाग में स्थानान्तरित ।

बि0स0मु0, 49(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550